

भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिए

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जावे।	मुख्य वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त इन्दौर द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार जिला धार के अन्तर्गत वन मण्डल धार के परिक्षेत्र धामनोद के वन खण्ड भुमट(III)-3, कोठिदा, सराय सेवरीमाल के कक्षा क्रमांक आर.एफ. 504 रकबा 6.75 हेक्टेयर, आर.एफ. 503 रकबा 5.75 हेक्टेयर, आर.एफ. 502 रकबा 13.50 हेक्टेयर, आर.एफ. 325 रकबा 20.53 हेक्टेयर, आर.एफ. 326 रकबा 7.25 हेक्टेयर, आर.एफ. 495 रकबा 18.50 हेक्टेयर, आर.एफ. 494, रकबा 4.22 हेक्टेयर एवं आर.एफ. 506 रकबा 42.75 हेक्टेयर कुल 119.25 हेक्टेयर वन भूमि कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के तालाब निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	--

तिथि :- ०७-०५-२०१७

स्थान:-भोपाल

(Signature)
07/05/17

(SUNIL AGRAWAL)

I.F.S.

Addl. Principal Chief Conservator of forest

(Land Management)

Madhya Pradesh, Bhopal